



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239080
CG-DL-E-24092022-239080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4305]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944

No. 4305]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

शुद्धि—पत्र

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4494 (अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (पप) तारीख 14 मार्च, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का. आ. 1156(अ) तारीख 07 मार्च, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में दी गई अनुसूची की सारणी में प्रविष्टि संख्या 4, 5, और 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि बदली जाये अर्थात्:—

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	प्रभावित रकवा		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
					हेक्टेयर में	एकड़ में			
4	मानपुर वार्ड सं. — 31	250	876	501	0.0870	0.2150	आवासीय अन्य सड़क	रैयती	हरिराम पान्डे।
5	कण्डी नवादा	189	100	1717	0.0283	0.0700	आवासीय अन्य सड़क	रैयती	राज यादव, विश्वनाथ यादव पिता झरी यादव।

6	कण्डी नवादा वार्ड सं. — 1	189	7	546	0.1061	0.2600	आवासीय अन्य सड़क	रैयती	परमेश्वर भदानी, शैलेश भदानी पिता ओमप्रकाश भदानी।
---	------------------------------------	-----	---	-----	--------	--------	---------------------	-------	--

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2346]

पंकज त्यागी कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 मार्च, 2022 सं. का. आ. 1156(अ) तारीख 07 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4494(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in Ministry of Railway, (Railway Board) published in the Gazette of India, on dated the 14th March, 2022, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1156(E), dated the 7th March, 2022 (hereinafter referred to as the said notification), namely :-

In the Schedule of the said notification in the Table in place of entries at serial no. 4, 5 and 6, the following entries may be replaced namely:-

S. No.	Name of Mouza	Thana No.	Khata No.	Plot/ Survey No.	Affected Area		Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner/Interested Persons
					(In Ha)	(In Acre)			
4	Manpur Ward No- 31	250	876	501	0.0870	0.2150	Residential Others Road	Private	Hariram Pandey.
5	Kandi Nawada	189	100	1717	0.0283	0.0700	Residential Others Road	Private	Raj Yadav, Vishwanath Yadav S/o Jhari Yadav.
6	Kandi Nawada Ward No. 1	189	7	546	0.1061	0.2600	Residential Others Road	Private	Prameshwar Bhadani, Shailesh Bhadani S/o Omprakash Bhadani.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2346]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary part II, section 3, sub-section (ii) dated the 14th March, 2022 vide number S.O.1156 (E), dated the 7th March, 2022.